न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 3 / 2019 **दायर दिनांकः 15 / 04 / 2019**

उनवान

1. मदनलाल आयु 35 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति रेगर निवासी गोरडी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

आदेश दिनाकः 23 / 03 / 2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल गोरडी जागीर तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 153 का कुल किता 19 का रकबा 7.81 है0 आराजी प्रार्थी के जमाबन्दी में वर्तमान में शामलाती दर्ज खाता है। वर्तमान नकल जमाबन्दी संवत 2073—2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थी के पिता बिरधीलाल की मृत्यु हो जाने से पिता बिरधीलाल के स्थान पर प्रार्थी के नाम व अन्य भाईयों के नाम इन्तकाल दर्ज करते समय अप्रार्थी के द्वारा व अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जमाबन्दी बनाते समय लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुये राजंस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम मदनलाल पुत्र बिरधीलाल के स्थान पर पप्पुलाल पुत्र बिरधा को रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दुरस्त करवाकर पप्पूलाल पुत्र बिरधा के स्थान पर मदनलाल पुत्र बिरधीलाल करवाने का अधिकारी है। क्योंकि प्रार्थी के सरकारी रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी सही नाम मदनलाल पुत्र बिरधीलाल दर्ज है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी का पेन कार्ड, ड्राईवर लाईसेन्स, राशनकार्ड की फोटो कॉपी व ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी द्वारा किये गये गलत नाम को रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दुरस्थ नहीं करवाया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। विवादग्रस्त आराजी तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुन्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना अवधि एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम पप्पूलाल पुत्र बिरधा के स्थान पर सही नाम मदनलाल पुत्र बिरधीलाल दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 का शपथ पत्र पेश किया गया शेष साक्ष्यवादी पेश नहीं करने के कारण शेष साक्ष्यवादी बन्द किये गये।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम पप्पूलाल पुत्र बिरधा के स्थान पर सही नाम मदनलाल पुत्र बिरधीलाल दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को फरमाया जावे।

उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। ग्राम गोरडी जागीर की जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 153 किता 19 कुल रकबा 7.81 है0 में पप्पूलाल पुत्र बिरधा का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आयकर विभाग का पेन कार्ड में प्रार्थी का नाम मदन लाल पुत्र बद्री लाल, ड्राइविंग लाइसेंस में मदन लाल पुत्र बद्री लाल तथा राशन कार्ड में मदनलाल रेगर पुत्र बिरधीलाल दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत ननावता के दिनांक 06.03.2019 के प्रमाण पत्र अनुसार पप्पूलाल पुत्र बिरधीलाल व मदनलाल पुत्र बिरधीलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है गावं के पप्पूलाल को मदनलाल के नाम

से ही जाना जाता है। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम मदनलाल उर्फ पप्पूलाल पुत्र बिरधीलाल स्वीकार योग्य है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल गोरडी जागीर तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 153 का कुल किता 19 का रकबा 7.81 है0 में सहखातेदार पप्पूलाल पुत्र बिरधा के स्थान पर मदनलाल उर्फ पप्पूलाल पुत्र बिरधीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां